राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

क्रमांक : एफ–9 / सा.प्र. / स्टोर / 2024 / 24574-24631 दिनांक : 9/1/2024

अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, रा.वि.वि., जयपुर।
समस्त निदेशक / समन्वयक, रा.वि.वि., जयपुर।
समस्त विभागाध्यक्ष संबंधित विभाग, रा.वि.वि., जयपुर।
प्राचार्य / प्राचार्या, संघटक महाविद्यालय, रा.वि.वि., जयपुर।
मुख्य / सहायक आवासाधिकारी (छात्र / छात्रा), रा.वि.वि., जयपुर।
विश्वविद्यालय अभियन्ता, रा.वि.वि., जयपुर।
प्रभारी अधिकारी, वि.वि. प्रेस, रा.वि.वि., जयपुर।
समस्त चिकित्साधिकारी, रा.वि.वि., जयपुर।
प्रबन्धक अतिथिगृह, रा.वि.वि., जयपुर।
समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक विभाग, रा.वि.वि., जयपुर।

परिपत्र

महोदय / महोदया

विश्वविद्यालय में एकरूपता, मितव्ययता तथा पारदर्शिता की पालना में प्रतिवर्ष अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को स्थाई रूप से लागू किये जाने हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक : एफ–9 / सा.प्र. / स्टोर / 2015 / 9156–9355 दिनांक 13.08.2015 के अनुसार केन्द्रीय क्रय सिस्टम का नियम (Rule) लागू किया गया था। तदनुसार पालना अनिवार्य रूप से की जानी थी, किन्तु यह संज्ञान में आया है कि कई विभागों / महाविद्यालयों / प्रशासनिक ईकाईयों द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के अपने स्तर पर इलेक्ट्रोनिक एवं इलेक्ट्रिक उपकरण / फर्नीचर इत्यादि क्रय किये जा रहे है, इससे विश्वविद्यालय पर अनावश्यक वित्तीय भार बढ़ रहा है। इस हेतु सभी विभागों, केन्द्रों, संघटक महाविद्यालयों तथा प्रशासनिक ईकाईयों को सूचित किया जाता हैं कि सभी प्रकृति के फर्नीचर / इलेक्ट्रोनिक एवं इलेक्ट्रिक उपकरणों इत्यादि की खरीद पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाई जाती है। यदि आवश्यक होगा तो खरीद प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर परीक्षण कर स्वीकृति दी जा सकेगी।

अतः उपरोक्तानुसार पालना अनिवार्य रूप से की जानी है। भविष्य में इसका उल्लघंन कर की गई किसी भी तरह की खरीद इत्यादि नियम विरूद्ध अथवा अनियमितता की श्रेणी में माना जायेगा।

नोट : यह सक्षम स्तर पर स्वीकृत है।

कुलसचिव